

राजस्थान सरकार  
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,  
जयपुर, राजस्थान।

क्रमांक:-डीसी/डी-3/एम.एस.-277/2015/

दिनांक

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।  
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

अलर्ट नोटिस

विषय:- गम्भीर रूप से घोषित अवमानक औषधि के संबंध में अलर्ट नोटिस।

राजकीय विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर द्वारा निम्नांकित औषधि को गम्भीर रूप से अवमानक कोटि का घोषित किया गया है:-

S. No.	Name of Drugs	B. No.	Manufacturer	T/R No. & Date	Reasons
1.	AZITHROMYCIN Tablets IP 500mg	F833K406	M/s Zim Laboratories Ltd. B-21/22, MIDC Area Kalmeshwar 441501 Dist-Nagpur (M.S.)	940/2015-2016/DTL / 2015 Dated 06-07-2015	"The sample does not conform to the claim with respect to Assay of AZITHROMYCIN (Nil) (Assay- Azithromycin Anhydrous Claim - 500mg Found- Nil

अतः आप पूरे राज्य में अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी/सतर्कता बरतते हुये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करें तथा उक्त निर्माता की अन्य औषधियों के नमूने भी नियमानुसार जाँच हेतु लें।

—SD—

(के० जयवन्त)

औषधि नियंत्रक

राज० जयपुर

दिनांक 17-07-2015

क्रमांक:-डीसी/डी-3/एम.एस.-277/2015/432

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप औषधि नियंत्रक (भारत), सी.डी.एस.सी.ओ (नोर्थ जोन), कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।
2. कार्यकारी निदेशक (RMSCL) मुख्यालय।
3. निजी सचिव, मिशन डायरेक्टर (NRHM) मुख्यालय।
4. निदेशक (जन स्वा./प.क./एड्स/एम.एस.यू./ई.एस.आई.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, 341, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट) मुम्बई, महाराष्ट्र राज्य।
6. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज०, जयपुर।
7. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को आदेश की प्रति e-mail से भी भिजवावें तथा Drugs Control में विभागीय वेबसाईट पर Upload करने का श्रम करें।
11. रक्षित पत्रावली।



(के० जयवन्त)

औषधि नियंत्रक

राज० जयपुर